443

[2019] 6 एस. सी. आर. 443

ए.

अजीत कौर @सुर्जित कौर बनाम।

दर्शन सिंह (मृत) विधिक उत्तराधिकारी एस. और ओ. आर. एस. के माध्यम से (2010 की सिविल अपील सं. 226)

अप्रैल 04,2019

बी.

**[**ए**.** एम**.** खानविलकर और अजय रस्तोगी**,** जे**.** जे**.]**

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956:धारा 14 (1)-एक महिला हिंदू की संपत्ति उसकी पूर्ण संपत्ति है-केवल एक महिला द्वारा संपत्ति का कब्जा, यदि यू/एस के अधिकार का दावा करने के लिए पर्याप्त है।14(1) – आयोजित किया गयाःअधिनियम, 1956 के बाद कानून के संचालन से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों का दावा करने के लिए केवल कब्ज़ा विषय संपत्ति पर कब्ज़े का पहले से मौजूद अधिकार प्रदान नहीं करेगा-धारा 14 (1) में स्पष्ट रूप से यह परिकल्पना की गई है कि महिला का कब्ज़ा किसी दावे, अधिकार या शीर्षक के कुछ अवशेषों के तहत या किसी भी उपकरण के तहत होना चाहिए जो कानून के तहत कथित किया गया है-तथ्यों पर, अपीलकर्ता-बेटी का दावा कि दूसरी शादी से बेटी, जो संपत्ति उसके पिता द्वारा 1950 में मौखिक रूप से उसकी मां को उपहार में दी गई थी, 1956 के अधिनियम के प्रारंभ के बाद उसकी मां की पूर्ण संपत्ति बन गई, और पिता द्वारा निष्पादित वसीयत उस संपत्ति का संचालन नहीं कर सकती थी, भले ही इसे वैध माना जाए, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है-अपीलकर्ता के पास कब्जा था लेकिन उसके पास कब्जा नहीं था। 14(1).

सी.

डी.

ई.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा**,**

पकड़नाः**1.1** तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष उच्च न्यायालय द्वारा वसीयत के संदर्भ में शुरू की गई अलग**-**अलग कार्यवाही में नियमित दूसरी अपील में दर्ज किया गया है जिसे वैध रूप से निष्पादित किया गया है और वसीयत के पाठ के आधार पर**,** यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वादी प्रतिवादी**-**अपीलार्थी को बाहर करने के लिए विवादित भूमि सहित बी**-**मृतक की पूरी संपत्ति के उत्तराधिकारी बनने के हकदार हो गए हैं।बाद की वसीयत के संदर्भ में

विवादित निर्णय के तहत दर्ज तथ्य का निष्कर्ष, जिस पर अपीलार्थी द्वारा बहुत जोर दिया गया था, यह देखा गया कि वसीयत के प्रस्तावक को कानूनी रूप से न केवल वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करने की आवश्यकता थी, बल्कि उन सभी संदिग्ध परिस्थितियों को भी दूर करने की आवश्यकता थी जो वसीयत के उचित निष्पादन में मौजूद हो सकती थीं।

एफ.

जी.

एच.

443 ए.

444 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 6 एस. सी. आर.

उक्त वसीयत और यह देखा गया कि वर्तमान अपीलार्थी द्वारा दावा की गई बाद की वसीयत को विधिवत साबित नहीं किया जा सकता है और रिकॉर्ड पर सामग्री द्वारा विधिवत समर्थित तथ्य का निष्कर्ष होने के कारण, तत्काल अपील में इस न्यायालय द्वारा समीक्षा किए जाने वाले निष्कर्ष में कोई विकृति या स्पष्ट त्रुटि नहीं है।**[**पैरा **13] [450-**डी-जी**]**

**1.2** राजस्व अभिलेखों में किसी संपत्ति का उत्परिवर्तन राजकोषीय कार्यवाही है और यह स्वामित्व नहीं बनाता है या समाप्त नहीं करता है और न ही स्वामित्व पर इसका कोई अनुमानित मूल्य होता है।यह केवल उस व्यक्ति को भूमि राजस्व का भुगतान करने में सक्षम बनाता है जिसके पक्ष में उत्परिवर्तन का आदेश दिया गया है।साथ ही, विदेशी की संपत्ति को हस्तांतरित संपत्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए एक घोषणात्मक डिक्री का प्रभाव और जब तक कि विदेशी अदालत को यह समझाने में सक्षम नहीं होते हैं कि संपत्ति में उनका कोई स्थायी हित नहीं है, तब तक विदेशी के उत्तराधिकारी उत्तराधिकार के कानून के अनुसार संपत्ति के लाभों के हकदार होंगे।उक्त घोषणात्मक डिक्री के संचालन का प्रभाव विवादित भूमि को बी-मृतक की उक्त संपत्ति को बहाल करना होगा और उत्तराधिकार को **27.03.1973** पर खोला गया माना जाएगा जब बी की मृत्यु हो गई।उनकी मृत्यु पर, विवादित भूमि सहित उनके पीछे छोड़ी गई संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों को उनकी पात्रता के अनुसार हस्तांतरित कर दी जाएगी और उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित **5.01.1973** पंजीकृत वसीयत को बरकरार रखने और अंतिमता प्राप्त करने के बाद, इसका परिणाम तदनुसार होना था।**[**पैरा **14] [450-**जी-एच**; 451-**ए-सी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

**1.3** अपीलार्थी का यह निवेदन कि अपीलार्थी उस समय, जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, **1956** लागू हुआ था और धारा **14 (1)** के आधार पर विषय संपत्ति का पूर्ण स्वामी बन गया था और डिक्री एक शून्य होने के कारण अप्रवर्तनीय है और यह विधायिका की नीति के खिलाफ एक अधिकार क्षेत्र की त्रुटि है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिनियम, **1956** की धारा **14 (1)** में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि विधवा का कब्जा, हालांकि, किसी दावे, अधिकार या अधिकार के किसी अवशेष के तहत या किसी ऐसी योजना के तहत होना चाहिए जो कानून के तहत अभिप्रेत है।तत्काल मामले में, अपीलार्थी के पास विषय संपत्ति पर कोई वैध अधिकार नहीं था और राजकोषीय कार्यवाही शुरू करने से अधिनियम, **1956** की धारा **14 (1)** के स्पष्टीकरण के तहत निर्दिष्ट किसी भी योजना द्वारा अधिग्रहण का अधिकार प्रदान नहीं होगा।**[**पैरा **15] [451-**सी**-**ई**]** ए

एफ.

जी.

एच.

445

अजीत कौर @सुर्जित कौर बनाम दर्शन सिंह (डी) टीएचआर। विधिक उत्तराधिकारी

**1.4** तत्काल मामले में, हालांकि अपीलार्थी के पास अधिकार था, लेकिन अधिनियम, **1956** की धारा **14 (1)** के स्पष्टीकरण के तहत निर्दिष्ट किसी भी योजना के तहत नहीं और केवल अधिकार अधिनियम, **1956** के कानून के संचालन द्वारा लागू होने के बाद पूर्ण स्वामित्व अधिकारों का दावा करने के लिए विषय संपत्ति पर कब्जा करने का पहले से मौजूद अधिकार प्रदान नहीं करेगा और इस पर उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में विचार किया गया था और अस्वीकार किया गया था।**[**पैरा **20] [456-**ई**-**एफ**]**

बी.

एराम्मा बनाम वीरूपाना और अन्य 1996 ए. आई. आर. एस. सी. 1879; वी. तुलासम्मा और अन्य बनाम शेषा रेड्डी (मृत) एल. आर.

**(1977) 3** एससीसी **99:[1977] 3** एस**.** सी**.** आर**. 261-**संदर्भित।

सी.

मामला कानून संदर्भ

ए. आई. आर. **1996** एस. सी. **1879** पैरा **16 [1977] 3** एस. सी. आर. **261** पैरा **17** को संदर्भित

डी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील सं. 226

2010

1984 के आर. एस. ए. सं. 166 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

ई.

जे. एम. खन्ना, सुश्री तनुज बग्गा शर्मा, सुश्री शीफाली खन्ना सेठी, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

राजिंदर माथुर, सुश्री एस. जनानी, सुश्री श्रुति बिस्ट, निशांत कुमार, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रास्टोगी**,** जे।

1. यह 28 जुलाई, 2004 को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा प्रतिवादी की अपील है और निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न होती है।

जी.

2. मूल वादी, भाना के बेटे दर्शन सिंह और भाना की बेटियों, अम्रित और ऊधि उर्फ इकबाल कौर, ने विवाद में विषय भूमि के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया।वादी द्वारा यह दावा किया गया था कि विवादग्रस्त संपत्ति का मूल मालिक मोती का पुत्र भाना था।

एच.

वादी और एक गुरूदेव कौर उपरोक्त भाना की पहली पत्नी भागो से हुई संतानें थीं और उनकी पत्नी (भागो) की मृत्यु के बाद, भाना ने श्रीमती भाना से पुनर्विवाह किया। बंटी लेकिन भाना और श्रीमती के तनावपूर्ण संबंधों के कारण। लेकिन, वे अलग रहने लगे।यहां तक कि उनके बीच झगड़ा भी हुआ था।भाना और श्रीमती। बंती की एक बेटी थी, जिसका नाम अजीत कौर (अपीलार्थी) था।उनके बीच विवाद को निपटाने के लिए, भाना ने सूट की जमीन श्रीमती को सौंप दी। बंटी वर्ष 1950 में अपने रखरखाव के लिए उपहार के रूप में।इसे आगे बढ़ाने के लिए, उत्परिवर्तन को भी श्रीमती के पक्ष में दर्ज किया गया था। नं. वाला बंटी। 3813 को 25 फरवरी, 1950 को मंजूरी दी गई।उपरोक्त उपहार को मूल वादी दर्शन सिंह ने प्रथागत कानून के तहत घोषणा के लिए दीवानी मुकदमा संख्या 103/1953 में चुनौती दी थी।उनके द्वारा यह दावा किया गया था कि स्वर्गीय भाना द्वारा श्रीमती के पक्ष में उपरोक्त उपहार। बंटी क्रा पैतृक संपत्ति दर्शन सिंह (मूल वादी) के प्रत्यावर्ती अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी। दर्शन सिंह के कहने पर दायर किए गए उपरोक्त दीवानी मुकदमे को विद्वत निचली अदालत ने 30 जून, 1954 के फैसले के माध्यम से तय किया था और यह माना गया था कि स्वर्गीय भाना द्वारा श्रीमती के पक्ष में उपरोक्त उपहार। बंटी दर्शन सिंह के प्रत्यावर्तन अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा और केवल भाना के जीवन काल के दौरान काम करेगा।बंटी द्वारा उपरोक्त निर्णय और डिक्री के खिलाफ दायर सिविल अपील संख्या 101/1954 को विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 29 नवंबर, 1954 के फैसले और उनके कहने पर दायर नियमित दूसरी अपील संख्या 193/1955 के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। बंटी) को उच्च न्यायालय ने 3 नवंबर, 1959 को खारिज कर दिया।यह दावा किया गया था कि श्रीमती. बंटी को केवल भाना के जीवनकाल के दौरान संपत्ति में अधिकार जारी रखना था और वह एक पूर्ण मालिक नहीं था।चूंकि भाना की मृत्यु 27 मार्च, 1973 को हुई थी और उनकी मृत्यु से पहले, उन्होंने 5 जनवरी, 1973 की एक पंजीकृत वसीयत को निष्पादित किया था, जिसमें उन्होंने वादी दर्शन सिंह और अन्य लोगों के पक्ष में अपनी संपत्ति को वसीयत में दिया था। बंटी और श्रीमती। अजीत कौर, मूल (प्रतिवादी सं।1) और (प्रतिवादी सं।25) इसमें अपीलार्थी और दूसरी बेटी गुरदेव कौर।5 जनवरी, 1973 की उपरोक्त वसीयत के संदर्भ में, वादी द्वारा कब्जे के लिए दीवानी मुकदमा सं. 15/1975 दायर किया गया था। अपीलार्थी ने मुकदमे का विरोध किया और उसके द्वारा यह दावा किया गया कि बंटी मुकदमे की संपत्ति का पूर्ण मालिक था।उन्होंने पार्टियों के बीच पहले की मुकदमेबाजी से भी इनकार किया, जिसमें दर्शन सिंह के प्रत्यावर्ती अधिकारों को बरकरार रखा गया था।5 जनवरी, 1973 की वादी द्वारा दावा की गई वसीयत को भी चुनौती दी गई थी।3. दूसरी ओर, पक्षकारों के बीच अलग मुकदमे में अपीलार्थी नियमित दूसरी अपील सं. 933/1984 और A

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

447

अजीत कौर @सुर्जित कौर बनाम दर्शन सिंह (डी) टीएचआर। विधिक उत्तराधिकारी [आरएएसटीओजी, जे।] ए.

5 जनवरी, 1973 की वसीयत की वैधता को उच्च न्यायालय द्वारा 28 जुलाई, 2004 के फैसले और विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. अपीलार्थी के कहने पर वरीयता प्राप्त 24724/2004 को दबाए बिना खारिज कर दिया गया।5 जनवरी, 1973 की वसीयत के अनुसार, मूल वादी वर्तमान अपीलार्थी को बाहर करने के लिए विवादग्रस्त भूमि सहित भाना (मृतक) की संपत्ति पर दावा करने के हकदार हो गए।5 जनवरी, 1973 की वसीयत में कहा गया था कि श्रीमती. बंटी लगभग 20 वर्षों से अलग रह रही थी और निहाल सिंह के बेटे माल सिंह, बड़ा पिंड के साथ अवैध संबंधों के उसके चरित्र पर सवाल उठाया और इसके बावजूद, वसीयतकर्ता ने उसके रखरखाव का ध्यान रखा है।5 जनवरी, 1973 की वसीयत को 11 अप्रैल, 1956 की पूर्ववर्ती वसीयत के स्थान पर निष्पादित किया गया और उपरोक्त कारण से वसीयतकर्ता द्वारा यह कहा गया था कि उनकी मृत्यु के बाद पूरी संपत्ति उनकी बेटी श्रीमती को हस्तांतरित की जाएगी। अमृता, ऊदी उर्फ इकबाल कौर और पुत्र दर्शन सिंह तीन बराबर शेयरों में।

बी.

सी.

4. निचली अदालत ने तत्काल कार्यवाही में कहा कि समेकन कार्यवाही के दौरान मूल भूमि के बदले में वाद भूमि आवंटित की गई थी।वादी द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 1973 और प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 1973 को स्थापित दोनों वसीयतों को भाना द्वारा निष्पादित किया गया था।ज्ञात विचारण न्यायालय ने आगे एक निष्कर्ष दर्ज किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (इसके बाद "अधिनियम 1956" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) के प्रारंभ के बाद बंटी मुकदमे की संपत्ति का पूर्ण मालिक बन गया था और इसलिए, वादी पहले की डिक्री का कोई लाभ नहीं ले सकते थे और तदनुसार वादी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया।

डी.

ई.

5. अभिलेख पर साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर, अपीलीय न्यायालय ने वर्ष 1950 में भाना द्वारा निष्पादित मौखिक उपहार के आधार पर बंटी के मुकदमे की संपत्ति का पूर्ण मालिक बनने के संबंध में निचली अदालत के निष्कर्षों को उलट दिया और कहा कि उपहार को दरकिनार कर दिया गया और अभिनिर्धारित किया कि श्रीमती. अधिनियम, 1956 के प्रारंभ होने के बाद भी बंटी को वाद संपत्ति का पूर्ण स्वामी नहीं ठहराया जा सकता था क्योंकि वाद संपत्ति पर उसका अधिकार केवल भाना के जीवनकाल के दौरान संचालित होना था, जिनकी मृत्यु 27 मार्च, 1973 को हुई थी।अपील न्यायालय के फैसले को अपीलार्थी (प्रतिवादी) के कहने पर चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील भी 28 जुलाई, 2004 के विवादित फैसले के तहत खारिज कर दी गई, जो तत्काल अपील में चुनौती का विषय है।

एफ.

जी.

एच.



6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री जे. एम. खन्ना प्रस्तुत करते हैं कि एक बार जब इस तथ्य को पक्षकारों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो श्रीमती. बंटी भाना की विधवा थी जिसकी संपत्ति विवाद में है और इस तरह से गठित सह-पक्षीय है और अधिनियम, 1956 के प्रवर्तन के बाद एक तिहाई हिस्से का हकदार था और विद्वत अपीलीय न्यायालय ने 21 फरवरी, 1973 की वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित बाद की वसीयत पर ध्यान दिए बिना 5 जनवरी, 1973 की वसीयत पर भरोसा करने में गलती की है और जो निष्कर्ष पहले अपीलीय न्यायालय द्वारा 21 फरवरी, 1973 की वसीयत के संदर्भ में दर्ज किया गया है, वह विकृत है और इस न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है और इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है।

बी.

7. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि भाना की संतान में पहली पत्नी से एक बेटा और तीन बेटियाँ थीं जो मृत थीं और दूसरी शादी से विधवा के साथ एक और बेटी थी।यदि स्पष्ट रूप से अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद उत्तराधिकार खोला गया तो पहली पत्नी के एक बेटे और तीन बेटियों को भी संपत्ति का दो तिहाई हिस्सा मिलेगा और विधवा और एक बेटी यानी दूसरी शादी से एक तिहाई संपत्ति मिलेगी।जहाँ तक 5 जनवरी, 1973 की वसीयत के संदर्भ में निष्कर्ष का संबंध है, यह कभी भी साबित नहीं हुआ था या निचली

अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था और इसे विलंबित स्तर पर उत्तेजित नहीं किया जा सकता था।

सी.

डी.

8. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पहली अपीलीय अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में सह-संपत्ति पर लागू कानून का गलत अर्थ निकाला है और महिला के सफल होने के अधिकार को शाम बिक्री विलेख के निष्पादन से पराजित किया जाएगा और उसी पर मृतक भाना के जीवनकाल के दौरान सवाल उठाया जाना था और सीमा केवल तीन साल है।चूँकि मृतक भाना के उत्तराधिकारी होने का अधिकार वर्ष 1973 में उनकी मृत्यु के बाद ही उत्पन्न हुआ था और कब्जे के लिए मुकदमा उसी के 12 वर्षों के भीतर दायर किया जा सकता था, विशेष रूप से जब अपीलार्थी के पास मृतक द्वारा छोड़ी गई भूमि का एक हिस्सा था।

ई.

एफ.

9. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि भाना द्वारा निष्पादित 5 जनवरी, 1973 की वसीयत की वैधता हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रवर्तन के बाद उत्तराधिकारी के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकती है, क्योंकि भाना ने अपीलार्थी को संपत्ति उपहार में दी थी और वसीयत उस संपत्ति को संचालित नहीं कर सकती थी, भले ही उसे वैध माना जाए। अधिनियम, 1956 के प्रवर्तन से पहले अलग पत्नी यानी बंटी को अलग पत्नी के रखरखाव के लिए उपहार में दी गई या अन्यथा दी गई संपत्ति, जो अब विधवा है, अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद संपत्ति पर पूर्ण अधिकार रखेगी।

जी.

एच.

449

अजीत कौर @सुर्जित कौर बनाम दर्शन सिंह (डी) टीएचआर। विधिक उत्तराधिकारी [आरएएसटीओजी, जे।] ए.

ए.

10. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि भाना द्वारा अपनी संतान को उपरोक्त पैतृक संपत्ति के संबंध में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की जा सकती थी क्योंकि विषय संपत्ति बंटी के कब्जे में थी, रखरखाव को देखते हुए और भाना द्वारा दिए गए दस्तावेज़/बयान की प्रकृति के बावजूद, 17 जून, 1956 को अधिनियम, 1956 के प्रवर्तन पर संपत्ति बंटी की पूर्ण

संपत्ति बन जाएगी।उत्तरदाताओं/वादियों के घोषणा वाद के प्रत्यावर्ती अधिकार तब प्रभावी नहीं होते हैं जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रवर्तन के बाद उत्तराधिकार खोला जाता है और डिक्री केवल तभी प्रभावी होती है जब प्रत्यावर्ती अधिकार तब मौजूद होते हैं जब भाना कर्ता और सह-भागीदार की मृत्यु पर उत्तराधिकार खोला जाता है।संपत्ति सह-पारसी या हिंदू संयुक्त परिवार या भाना को कर्ता के रूप में वापस नहीं की जाती है और अधिनियम, 1956 के प्रवर्तन के बाद, उत्तराधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाना है और यदि प्रत्यावर्ती जिसे डिक्री मिली है और वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या हिंदू कानून के अनुसार उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसे प्रत्यावर्ती घोषणात्मक डिक्री के तहत लाभ नहीं मिल सकता है।अधिनियम, 1956 की धारा 4 और धारा 30, जो सभी पर लागू होती है और कोई भी प्रथागत कानून हिंदू उत्तराधिकार कानून को दरकिनार नहीं करता है, को ध्यान में रखते हुए पहले जो भी रीति-रिवाज मौजूद थे, यदि कोई हों, उन्हें निरस्त कर दिया जाता है।

बी.

सी.

डी.

11. इसके विपरीत, प्रत्यर्थीगण की विद्वान अधिवक्ता  सुश्री एस. जननी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का समर्थन करते हुए और अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि करते हुए प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त विषय भूमि को श्रीमती के नाम पर परिवर्तित किया गया था। मौखिक उपहार और प्रत्यर्थीगण द्वारा उत्परिवर्तन के लिए दायर किए गए मुकदमे के आधार पर बंटी, वाद भूमि पर उनके प्रत्यावर्ती अधिकारों को बाध्य नहीं करेगा और सभी न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कथित मौखिक उपहार साबित नहीं हुआ है और तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष होने के कारण, आगे कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।विद्वान अधिवक्ता  आगे प्रस्तुत करते हैं कि यदि प्रत्यर्थीगण भूमि पर कब्जा करने के लिए उक्त डिक्री पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, फिर भी मुकदमे की कार्यवाही में निष्कर्ष पक्षों को बाध्य करेंगे।अपीलार्थी के मामले में ऐसा कभी नहीं था कि वाद भूमि रखरखाव के बदले उसकी माँ बंती को दी गई थी।इसके विपरीत, यह दलील दी गई कि ऐसी भूमि उन्हें प्रदान की गई सेवा के बदले में दी गई थी और जो विषय भूमि रखरखाव के बदले उनकी मां बंती को दी गई थी, उसका स्वर्गीय भाना की 5 जनवरी, 1973 की वसीयत में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।उपरोक्त वसीयत में स्वर्गीय भाना (वसीयतकर्ता) ने यह भी उल्लेख किया है कि श्रीमती. बंटी व्यभिचार में रह रहा था और 20 साल से अधिक समय से उससे अलग था और केवल व्यभिचार कर रहा था।

ई.

एफ.

वाद भूमि का कब्जा अधिनियम, 1956 के प्रभाव में आने पर उसे संपत्ति का पूर्ण मालिक नहीं बना देगा और धारा 14 (1) को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कानून के अधिदेश का लाभ उठाने के लिए, महिलाओं को उसमें उल्लिखित किसी एक योजना के तहत भूमि का कब्जा लेना होगा।

12. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में, अपीलार्थी ने स्वीकार किया था कि 5 जनवरी, 1973 की वसीयत को वैध रूप से निष्पादित किया गया था और आर. एस. ए. सं. 1 में, 5 जनवरी, 1973 की वसीयत की वैधता को बरकरार रखा गया है और वर्तमान अपीलार्थी ने उक्त निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा अपील को प्राथमिकता दी है जिसे इस न्यायालय द्वारा 7 अप्रैल, 2006 के आदेश के माध्यम से वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था और निष्कर्ष दर्ज किया गया था जो 21 फरवरी, 1973 का होगा, कानूनी रूप से निष्पादित और साबित नहीं किया गया है।दी गई परिस्थितियों में, अपीलार्थी को अधिनियम, 1956 के तहत उत्तराधिकार के माध्यम से कब्जे का दावा करने का कोई वैध अधिकार नहीं है और विवादित निर्णय के तहत प्रत्यर्थीगण के प्रत्यावर्ती अधिकारों की बहाली में कोई त्रुटि नहीं की गई थी।13. तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष उच्च न्यायालय द्वारा आर. एस. ए. सं. 5 जनवरी, 1973 के संदर्भ में शुरू की गई अलग-अलग कार्यवाही में नियमित दूसरी अपील में दर्ज किया गया है। 28 जुलाई, 2004 को तय की गई वसीयत को वैध रूप से निष्पादित किया गया और वसीयत के पाठ के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि वादी प्रतिवादी (इसमें अपीलकर्ता) के बहिष्करण के लिए विवादित भूमि सहित भाना (मृतक) की पूरी संपत्ति के उत्तराधिकारी बनने के हकदार हो गए।यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि 21 फरवरी, 1973 की बाद की वसीयत के संदर्भ में विवादित फैसले के तहत दर्ज तथ्य का निष्कर्ष, जिस पर वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा बहुत जोर दिया गया था, यह देखा गया कि वसीयत के प्रस्तावक की कानूनी रूप से आवश्यकता न केवल वसीयत के उचित निष्पादन को साबित करने के लिए थी, बल्कि उन सभी संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करने के लिए भी थी जो उपरोक्त वसीयत के उचित निष्पादन में मौजूद हो सकती हैं और यह देखा गया था कि वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दावा की गई 21 फरवरी, 1973 की बाद की वसीयत को विधिवत साबित नहीं किया जा सकता है और रिकॉर्ड पर सामग्री द्वारा विधिवत समर्थित तथ्य का निष्कर्ष होने के कारण, हम

तत्काल अपील में इस न्यायालय द्वारा समीक्षा किए जाने वाले निष्कर्ष में कोई विकृति या स्पष्ट त्रुटि नहीं पाते हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

14. यह कानून की एक स्थिर स्थिति है कि राजस्व अभिलेखों में किसी संपत्ति का उत्परिवर्तन राजकोषीय कार्यवाही है और यह स्वामित्व नहीं बनाता है या समाप्त नहीं करता है और न ही स्वामित्व पर इसका कोई अनुमानित मूल्य है।यह केवल उस व्यक्ति को भूमि राजस्व का भुगतान करने में सक्षम बनाता है जिसके पक्ष में उत्परिवर्तन का आदेश दिया गया है।उसी समय, ए को बहाल करने के लिए एक घोषणात्मक डिक्री का प्रभाव

एच.

451

अजीत कौर @सुर्जित कौर बनाम दर्शन सिंह (डी) टीएचआर। विधिक उत्तराधिकारी [आरएएसटीओजी, जे।] ए.

विदेशी की संपत्ति के लिए विजातीय संपत्ति यह है कि जब तक और जब तक विदेशी अदालत को यह समझाने में सक्षम नहीं होते हैं कि संपत्ति में उनका कोई स्थायी हित नहीं है, तब तक विदेशी के उत्तराधिकारी उत्तराधिकार के कानून के अनुसार संपत्ति के लाभों के हकदार होंगे। उपरोक्त घोषणात्मक डिक्री के संचालन का प्रभाव विवादग्रस्त भूमि को भाना (मृतक) की उपरोक्त संपत्ति को बहाल करना होगा और उत्तराधिकार 27 मार्च, 1973 को खोला गया माना जाएगा जब भाना की मृत्यु हो गई थी।उनकी मृत्यु पर, विवादित भूमि सहित उनके पीछे छोड़ी गई संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों को उनकी पात्रता के अनुसार हस्तांतरित कर दी जाएगी और 5 जनवरी, 1973 की पंजीकृत वसीयत को उच्च न्यायालय द्वारा आर. एस. ए. संख्या 933/1984 में बरकरार रखे जाने के बाद 28 जुलाई, 2004 को निर्णय लिया गया और उसे अंतिम रूप दिया गया, इसका परिणाम उसी के अनुसार होना था।

बी.

सी.

15. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता  का यह निवेदन कि अपीलार्थी का अधिनियम, 1956 के लागू होने के समय विचाराधीन विषय संपत्ति का कब्जा होने के कारण और अधिनियम की धारा 14 (1) के आधार पर विषय संपत्ति का पूर्ण स्वामी बन गया और डिक्री एक शून्य होने के कारण अप्रमाणित है और यह विधायिका की नीति के खिलाफ एक अधिकार क्षेत्र की त्रुटि है, इस कारण से आधारहीन है कि अधिनियम, 1956 की धारा 14 (1) में स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि विधवा का कब्जा, हालांकि, किसी दावे, अधिकार या अधिकार के किसी अवशेष के तहत या किसी ऐसी योजना के तहत होना चाहिए जो कानून के तहत अभिप्रेत है।निर्विवाद रूप से, तत्काल मामले में, अपीलार्थी के पास विषय संपत्ति पर कोई वैध अधिकार नहीं था और जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, राजकोषीय कार्यवाही शुरू करने से अधिनियम, 1956 की धारा 14 (1) के स्पष्टीकरण के तहत निर्दिष्ट किसी भी योजना द्वारा अधिग्रहण का अधिकार प्रदान नहीं होगा।अधिनियम, 1956 की धारा 14 इस प्रकार हैः-

डी.

ई.

“14. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में अर्जित की गई हिंदू महिला की कोई भी संपत्ति उसके पूर्ण स्वामी के रूप में उसके पास होगी, न कि सीमित स्वामी के रूप में।

एफ.

स्पष्टीकरण।— इस उप-धारा में, 'संपत्ति' में किसी हिंदू महिला द्वारा विरासत या योजना द्वारा, या किसी विभाजन पर, या रखरखाव या रखरखाव के बकाया के बदले में, या किसी व्यक्ति से उपहार द्वारा अर्जित चल और अचल संपत्ति, चाहे वह रिश्तेदार हो या नहीं, उसके विवाह से पहले, उस समय या उसके बाद, या उसके अपने कौशल या परिश्रम से, या खरीद या पर्चे द्वारा, या किसी अन्य तरीके से, और इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले उसके द्वारा स्त्रीधन के रूप में धारित ऐसी कोई संपत्ति भी शामिल है।

जी.

एच.



(2) उप-धारा (1) में निहित कुछ भी उपहार के रूप में या वसीयत या किसी अन्य साधन के तहत या किसी दीवानी अदालत की डिक्री या आदेश के तहत या किसी ऐसे पुरस्कार के तहत

अर्जित किसी भी संपत्ति पर लागू नहीं होगा, जहां उपहार, वसीयत या अन्य साधन या डिक्री, आदेश या पुरस्कार की शर्तें ऐसी संपत्ति में प्रतिबंधित संपत्ति निर्धारित करती हैं।"

**16.** अधिनियम**, 1956** के बाद धारा **14** के प्रभाव की जाँच इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एराम्मा बनाम वीरूपना और अन्य ए**.** आई**.** आर**. 1996** एस**.** सी**. 1879** में निम्नानुसार की गईः**-**

बी.

"6. इसके बाद अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि 1341-एफ में अपने पति एरन गौड़ा की मृत्यु के बाद उनकी आधी संपत्ति पर उनका कब्जा था और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के आधार पर वह संपत्तियों की पूर्ण मालिक बन गईं और इसलिए प्रत्यर्थीगण 1 और 2 निष्पादन मामले के साथ आगे नहीं बढ़ सकते।हम इस तर्क को सही मानने में असमर्थ हैं।एरन गौड़ा की मृत्यु के समय हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 (1937 का अधिनियम 18) लागू नहीं हुआ था।श्री सिन्हा स्वीकार करते हैं कि इस अधिनियम को 7 फरवरी, 1953 से हैदराबाद राज्य में लागू किया गया था।यह स्पष्ट है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की घोषणा के समय अपीलार्थी के पास एरन गौड़ा की संपत्तियों पर अधिकार का कोई तरीका नहीं था।हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 (1) में कहा गया हैः

सी.

डी.

ई.

"14. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में अधिग्रहित किसी भी हिंदू महिला के स्वामित्व वाली संपत्ति, उसके पूर्ण मालिक के रूप में उसके पास होगी, न कि सीमित मालिक के रूप में।स्पष्टीकरण।— इस उप-धारा में, 'संपत्ति' में किसी हिंदू महिला द्वारा विरासत या योजना द्वारा, या किसी विभाजन पर, या रखरखाव या रखरखाव के बकाया के बदले में, या किसी व्यक्ति से उपहार द्वारा अर्जित चल और अचल संपत्ति, चाहे वह रिश्तेदार हो या नहीं, उसके विवाह से पहले, उसके समय या बाद में, या उसके अपने कौशल या परिश्रम से, या खरीद या पर्चे द्वारा, या किसी अन्य तरीके से, और इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले उसके द्वारा स्त्रीधन के रूप में धारित ऐसी कोई संपत्ति भी शामिल है।7. यह सच है कि अपीलार्थी के पास एरान गौड़ा की संपत्तियों का कब्जा था, लेकिन केवल यही तथ्य धारा 14 के संचालन को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।धारा में विचार किए जाने के अनुसार, एक महिला हिंदू के पास जो संपत्ति है, वह स्पष्ट रूप से वह संपत्ति है जिसके लिए उसने 'क' से पहले या बाद में किसी प्रकार की उपाधि प्राप्त की है।

एफ.

जी.

एच.

453

अजीत कौर @सुर्जित कौर बनाम दर्शन सिंह (डी) टीएचआर। विधिक उत्तराधिकारी [आरएएसटीओजी, जे।] ए.

अधिनियम का प्रारंभ। यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 14 (1) का स्पष्टीकरण एक महिला हिंदू द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विभिन्न तरीकों को निर्धारित करता है और इंगित करता है कि यह धारा केवल उस संपत्ति पर लागू होती है जिस पर महिला हिंदू ने किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त किया है, हालांकि उसके हित की प्रकृति सीमित हो सकती है।धारा 14 की उप-धारा (1) के अंतिम भाग में दिए गए शब्द "इसके पूर्ण मालिक के रूप में और एक सीमित मालिक के रूप में नहीं" स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि विधायिका का इरादा था कि एक हिंदू महिला के सीमित स्वामित्व को पूर्ण स्वामित्व में बदल दिया जाना चाहिए।दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 14 (1) में विचार किया गया है कि एक हिंदू महिला, जो इस प्रावधान के अभाव में, संपत्ति की सीमित मालिक होती, अब इस धारा के आधार पर उसी की पूर्ण मालिक बन जाएगी।इस धारा का उद्देश्य हिंदू कानून में सीमित संपत्ति या "विधवा संपत्ति" नामक संपत्ति को समाप्त करना और एक हिंदू महिला को, जो पुराने कानून के तहत केवल एक सीमित मालिक होती, स्वभाव की सभी शक्तियों के साथ संपत्ति का पूर्ण मालिक बनाना और संपत्ति को अपने स्वयं के उत्तराधिकारियों द्वारा विरासत में प्राप्त करना और अंतिम पुरुष धारक के उत्तराधिकारियों को वापस नहीं करना है।धारा 14 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण में "संपत्ति" शब्द को "किसी महिला हिंदू द्वारा विरासत या योजना द्वारा अर्जित चल और अचल दोनों संपत्ति" के रूप में परिभाषित किया गया है।धारा 14 की उप-धारा (2) संपत्ति के अधिग्रहण को भी संदर्भित करती है।यह सच है कि स्पष्टीकरण में "संपत्ति" शब्द का कोई विस्तृत अर्थ नहीं दिया गया है, लेकिन स्पष्टीकरण में और धारा 14 की उप-धारा (2) में भी उपयोग किया गया "अर्जित" शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि धारा का उद्देश्य एक हिंदू महिला को उस संपत्ति का पूर्ण मालिक बनाना है जिसे उसने पहले ही अर्जित कर लिया है या जिसे वह अधिनियम के प्रवर्तन के बाद प्राप्त करती है। यह किसी भी तरह से महिला हिंदू को कोई उपाधि प्रदान नहीं करता है जहां उसके पास वास्तव में कोई उपाधि नहीं थी।इसलिए, यह इस प्रकार है कि इस धारा की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि महिला हिंदू के अवैध कब्जे को मान्य किया जा सके और यह केवल अतिक्रमण करने वाले को कोई उपाधि प्रदान नहीं करता है।दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 14 (1) का प्रावधान उस हिंदू महिला के मामले में आकर्षित नहीं किया जा सकता है, जिसके पास अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को अंतिम पुरुष धारक की संपत्ति का कब्जा है, जब वह केवल एक अतिक्रमणकारी है, जिसके पास संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

(बल दिया गया)

एच.



17. इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आगे इस पर विचार किया।

वी. तुलासम्मा और अन्य बनाम शेषा रेड्डी (मृत) एल. आर. 1977 (3)

एस. सी. सी. 99 और अधिनियम, 1956 की धारा 14 (1) और (2) की व्याख्या का सारांश इस प्रकार दिया गया हैः-

62. अब हम उन कानूनी निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करना चाहेंगे जिन पर हम 1956 के अधिनियम की धारा 14 (1) और (2) की व्याख्या के रूप में इस अपील में शामिल कानून के प्रश्न पर ऊपर उल्लिखित अधिकारियों के विस्तृत विचार के बाद पहुंचे हैं।इन निष्कर्षों को इस प्रकार कहा जा सकता हैः

बी.

“(1) हिंदू महिला के भरण-पोषण का अधिकार एक खाली औपचारिकता या एक भ्रामक दावा नहीं है जिसे अनुग्रह और उदारता के मामले के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, बल्कि संपत्ति के खिलाफ एक ठोस अधिकार है जो पति और पत्नी के बीच आध्यात्मिक संबंध से बहता है और जिसे शुद्ध शास्त्रीय हिंदू कानून द्वारा मान्यता और आदेश दिया गया है और यज्ञवल्क्य से लेकर मनु तक के पूर्व हिंदू न्यायविदों द्वारा भी इस पर दृढ़ता से जोर दिया गया है।ऐसा अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं हो सकता है, लेकिन यह संपत्ति के खिलाफ अधिकार है और पति का अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने का व्यक्तिगत दायित्व है और यदि उसके या परिवार के पास संपत्ति है, तो महिला को उससे बनाए रखने का कानूनी

अधिकार है।यदि किसी महिला के रखरखाव के लिए आरोप लगाया जाता है, तो उक्त अधिकार कानूनी रूप से लागू करने योग्य हो जाता है।किसी भी दर पर, बिना किसी शुल्क के भी रखरखाव का दावा निस्संदेह एक पहले से मौजूद अधिकार है ताकि इस तरह के अधिकार की घोषणा या मान्यता देने वाला कोई भी हस्तांतरण कोई नया शीर्षक प्रदान नहीं करता है, बल्कि केवल पहले से मौजूद अधिकारों का समर्थन या पुष्टि करता है।

सी.

डी.

ई.

(2) धारा 14 (1) और उसके स्पष्टीकरण को यथासंभव व्यापक शब्दों में जोड़ा गया है और इसका उदारतापूर्वक महिलाओं के पक्ष में अर्थ लगाया जाना चाहिए ताकि 1956 के अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके और इस लंबे समय से आवश्यक कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को बढ़ावा दिया जा सके।

एफ.

(3) धारा 14 की उप-धारा (2) एक परंतुक की प्रकृति में है और इसका अपना एक क्षेत्र है जो धारा 14 (1) के संचालन में भौतिक रूप से हस्तक्षेप किए बिना है।परंतुक का इस तरह से अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि वह मुख्य प्रावधान के प्रभाव या धारा 14 (1) द्वारा दिए गए संरक्षण को नष्ट कर दे या इस तरह से कि वह मुख्य प्रावधान के साथ पूरी तरह से असंगत हो जाए।

जी.

एच.

455

अजीत कौर @सुर्जित कौर बनाम दर्शन सिंह (डी) टीएचआर। विधिक उत्तराधिकारी [आरएएसटीओजी, जे।] ए.

ए.

(4) धारा 14 की उप-धारा (2) उन उपकरणों, फरमानों, पुरस्कारों, उपहारों आदि पर लागू होती है जो पहली बार महिलाओं के पक्ष में स्वतंत्र और नए खिताब बनाते हैं और इसका कोई आवेदन नहीं है जहां संबंधित दस्तावेज केवल पहले से मौजूद अधिकारों की पुष्टि, समर्थन, घोषणा या मान्यता देना चाहता है।ऐसे मामलों में एक महिला के पक्ष में एक प्रतिबंधित संपत्ति कानूनी रूप से अनुमत है और धारा 14 (1) इस क्षेत्र में काम नहीं करेगी।हालाँकि, जहाँ कोई लिखत केवल पहले से मौजूद अधिकार की घोषणा या मान्यता देता है, जैसे कि भरण-पोषण या विभाजन या हिस्से का दावा, जिसके लिए महिला हकदार है, उप-धारा का

बिल्कुल कोई अनुप्रयोग नहीं है और महिला का सीमित हित धारा 14 (1) के बल पर स्वचालित रूप से एक पूर्ण अधिकार में विस्तारित हो जाएगा और दस्तावेज़ के तहत लगाए गए प्रतिबंधों, यदि कोई हों, को नजरअंदाज करना होगा।इस प्रकार जहां रखरखाव या विभाजन के समय हिस्से के बदले में किसी महिला को कोई संपत्ति आवंटित या हस्तांतरित की जाती है, तो लिखत को उप-धारा (2) के दायरे से बाहर कर दिया जाता है और अंतरिती की शक्तियों पर किसी भी प्रतिबंध के बावजूद धारा 14 (1) द्वारा शासित किया जाएगा।

बी.

सी.

डी.

(5) धारा 14 (1) के स्पष्टीकरण में 'विभाजन के समय किसी महिला हिंदू द्वारा अर्जित संपत्ति', 'या रखरखाव के बदले में', 'या रखरखाव के बकाया' आदि जैसे व्यक्त शब्दों का उपयोग स्पष्ट रूप से उप-धारा (2) को इन श्रेणियों के लिए लागू नहीं करता है जिन्हें स्पष्ट रूप से उप-धारा (2) के संचालन से अलग किया गया है।

ई.

(6) धारा 14 (1) में विधानमंडल द्वारा उपयोग किए गए 'कब्जे में' शब्द सबसे व्यापक संभव आयाम के हैं और इसमें संपत्ति के मालिक होने की स्थिति शामिल है, भले ही मालिक उसके वास्तविक या भौतिक कब्जे में न हो।इस प्रकार, जहां किसी विधवा को 1956 के अधिनियम के पारित होने से पहले या उस समय प्रारंभिक डिक्री के तहत संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन उसे अंतिम डिक्री के तहत वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया था, तो संपत्ति उसके कब्जे में मानी जाएगी और धारा 14 (1) के बल पर उसे संपत्ति में पूर्ण ब्याज मिलेगा। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि विधवा का अधिकार, हालांकि, एक दावे, अधिकार या शीर्षक के कुछ अवशेष के तहत होना चाहिए, क्योंकि यह धारा किसी भी अधिकार या शीर्षक के बिना किसी भी रैंक के अतिचारक के कब्जे पर विचार नहीं करती है। (7) कि धारा 14 (2) में प्रयुक्त 'प्रतिबंधित संपदा' शब्द धारा 14 (1) में बताए गए सीमित ब्याज से अधिक व्यापक हैं और वे

एफ.

जी.

एच.

इसमें न केवल सीमित ब्याज शामिल है, बल्कि कोई अन्य प्रकार की सीमा भी शामिल है जो हस्तांतरणकर्ता पर रखी जा सकती है।"

(बल दिया गया)

18. एरम्मा बनाम वीरूपन और अन्य (ऊपर) में, विधवा

उसके पास अपने दिवंगत पति की आधी संपत्ति थी और उसने अधिनियम, 1956 की धारा 14 के आधार पर अपने पूर्ण स्वामित्व का दावा किया था, जिसे इस न्यायालय ने इस कारण से अस्वीकार कर दिया था कि विधवा अधिनियम, 1956 की धारा 14 (1) के स्पष्टीकरण में इंगित किसी भी उपाय के तहत विचाराधीन विषय संपत्ति पर कब्जा नहीं कर रही थी।

बी.

19. जिसमें वी. तुलासम्मा और अन्य बनाम शेषा रेड्डी (मृत)

सी.

एल. आर. द्वारा, न्यायालय के समक्ष यह एक स्वीकृत मामला था कि वाद संपत्ति अदालत की डिक्री के निष्पादन में एक समझौते के तहत विधवा के कब्जे में आई, जिसमें रखरखाव के अधिकार की मान्यता में उसके अलगाव के अधिकार को प्रतिबंधित किया गया था, अधिनियम, 1956 के लागू होने की तारीख (यानी 17 जून, 1956) पर विचाराधीन विषय संपत्ति पर पहले से मौजूद अधिकार था।उस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा दावे पर विचार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम, 1956 के प्रारंभ की तारीख को विधवा का पहले से मौजूद अधिकार उसे विषय संपत्ति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करेगा।

डी.

20. तत्काल मामले में, हालांकि अपीलार्थी के पास अधिकार था, लेकिन अधिनियम, 1956 की धारा 14 (1) के स्पष्टीकरण के तहत निर्दिष्ट किसी भी योजना के तहत नहीं और केवल अधिकार अधिनियम, 1956 के कानून के संचालन द्वारा लागू होने के बाद पूर्ण स्वामित्व अधिकारों का दावा करने के लिए विषय संपत्ति पर कब्जे का पहले से मौजूद अधिकार प्रदान नहीं करेगा और इस पर उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में विचार किया गया था और अस्वीकार किया गया था।

ई.

एफ.

21. नतीजतन, अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।कोई लागत नहीं।

22. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

जी.

निधि जैन

याचिका खारिज कर दी गई।

एच.